लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4243

13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा क्षेत्र

4243: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री रमेश चन्द्र माझी:
श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की वृद्धि और विकास दर में कपड़ा और वस्त्र उद्योग की भूमिका से अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने बुनकरों के लाभार्थ हथकरघा क्षेत्र में माल और सेवा कर (जी०एस०टी०) में छूट सहित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा राज्य की हस्तशिल्प क्षमता को देखते हुए सरकार भुवनेश्वर में क्षेत्रीय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और कोरापुट में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार ओडिशा में पुरी जिले के रघुराजपुर में शिल्पग्राम परियोजना को पूरा करने के लिए चार करोड़ रुपये की लंबित राशि को जारी करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): जी, हां।

(ख): भारत सरकार द्वारा माल और सेवाओं पर बहुसंख्य करों को युक्तिसंगत बनाने तथा कराधान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी की शुरूआत की गई है। तदनुसार, यह हथकरघों सहित वस्त्र क्षेत्र पर भी लागू है। ज्यादातर बुनकरों का कारोबार 40 लाख रूपए से अधिक नहीं है और इसलिए उन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराने की अपेक्षा नहीं है। इसके अलावा, जीएसटी का कार्यान्वयन भारत सरकार के साथ जीएसटी परिषद में समान भागीदार के रूप में राज्यों के साथ संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। जीएसटी मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर जैसे सूती फाइबर, यार्न और फैब्रिक पर 5% दर से इनपुट क्रेडिट की सुविधाओं के साथ लागू है।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा कामगारों के लिए मार्च, 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के पैटर्न पर स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) कार्यान्वित की है। आरएसबीवाई सभी कामगारों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की गई थी। दिनांक 23.09.2018 को आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरूआत से आरएसबीवाई को इसमें शामिल कर लिया गया है।

इस योजना में लगभग 10.74 करोड़ गरीब एवं कमजोर परिवारों को 5.00 लाख रूपये तक प्रति परिवार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी ऐसे लाभार्थी परिवारों जिनको एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार लक्षित समूहों में नहीं रखा गया है उनको भी पीएमजेएवाई के तहत शामिल किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई में सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी) – 2011 के डाटा बेस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित परिवारों और शहरी क्षेत्रों में अभिज्ञात व्यवसायिक श्रेणियों के कामगार परिवारों को शामिल किया जाता है।

(ग): वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय का भुवनेश्वर में एक केंद्र यथा हस्तशिल्प सेवा केंद्र स्थित है। भुवनेश्वर तथा कोरापुट में नए केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ): चालू योजनाओं के लिए निधियां परियोजना की प्रगति और पिछली निधियों के उपयोग की प्राप्ति के आधार पर जारी की जाती है।

*****